न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 09/2020

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र जीवणराम जाति कुमावत
2. छोटीदेवी पत्नि रामचन्द्र जाति गुर्जर
3. कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर
4. गोविन्दराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर
5. सावरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण ग्राम थोरिया करनोस तहसील पीसागंन जिला अजमेर
6. अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जैन
7. विनोदकुमार पुत्र गणेशप्रसाद जाति कुमावत
   दोनों निवासीगण ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
2. छोगाराम पुत्र हरदान जाति गवारिया
3. भीकाराम पुत्र सुरजाराम जाति गवारिया
4. सूरजाराम पुत्र साहिबाराम जाति गवारिया (डिलिट)
5. हनुमानराम पुत्र अचलाराम जाति गवारिया
6. रामनिवास पुत्र हरकरण जाति गवारिया (डिलिट)
7. महेशकुमार पुत्र उत्तमचन्द जाति छीपा
8. बाबूखां पुत्र फरीद खां जाति मुसलमान
9. राजेश्वर प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण
   समस्त निवासीगण ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 132 व 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री खीवराज शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 03.11.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन के वर्तमान खसरा सख्ंया 4141, 4139, 4141/6027, 4139/6026 की आराजी प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की खरीदशुदा आराजी है। उक्त आराजी वर्किंग खसरा सख्ंया 2703 रकबा 10—03—00 बीघा से बने हैं। उक्त वर्किंग खसरा सख्ंया 2703 के समय ही तत्कालीन खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विधिक बंटवारा हो गया जिसका नामान्तकरण सख्ंया 531 दिनांक 26.06.1993 स्वीकार होकर वर्किंग जमाबदीं में इन्द्राज भी कर दिया गया उक्त वर्किंग नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम हो गया । वर्किंग नक्शे से वर्तमान [illegible] वर्तमान नक्शे में वर्किंग नक्शा के अनुसार तरमीम नहीं किया गया जबकि वर्तमान [illegible] सभी वर्किंग नक्शे के अनुसार ही काबिज है। वर्तमान नक्शे में उतरी पूर्वी भाग में अप्रार्थी [illegible] 2 से 8 का हक हिस्सा खसरा तरमीम होना चाहिये तथा शेष भाग पर प्रार्थीगण का हक हिस्सा खसरा तरमीम होना चाहिये किन्तु अप्रार्थी संख्या 9 के हक हिस्से को प्रार्थीगण के हक हिस्से में तरमीम कर दिया [illegible] कि वर्किंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

नक्शे के तरमीमी बंटवारे के अनुसार वर्तमान नक्शे में उक्त दुरूस्ती किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी गण व अप्रार्थी गण संख्या 2 से 8 की उपरोक्त वर्णित समस्त आराजी की वर्किंग जमाबदीं के खाता संख्या 444 में दर्ज नामान्तरण संख्या 531 दिनांक 26.06.1993 के अनुसार व वर्किंग नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती के आदेश पारित फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 11.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया बयान दर्ज कराये गये। प्रार्थी अभिभाषक के निवेदन पर एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 04 व 06 का नाम तर्क करने का पेश किया जो कि स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया उनके नाम डिलिट किये गये। सरकार पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वर्किंग खसरा सख्या 2703 के हाल बने खसरा सख्या 4141/6249 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि सिवायचक है एवं उक्त खातेदारी भूमि से लगते हुए खसरा सख्या 4142 बाल विकास परियोजना पीसागंन व 4142/6045 ग्राम पंचायत पीसागंन की होने से उक्त खसरा सख्या में से खसरा संख्या 4142, 4142/6045 का वर्तमान नक्शा में वर्किंग नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किया जाना उचित है। मैनें पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। सभी पक्षकारों की सहमति से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम पीसांगन तहसील पीसागंन में नक्शे में बंटवारे के नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 26.06.1993 के अनुरूप तरमीम के आदेश प्रदान किये जाते हैं साथ ही खसरों की वर्तमान स्थिति प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के रिकार्ड एंव तहसीलदार पीसागंन की रिपोर्ट के अनुसार बंटवारे के नामान्तरण के अनुरूप संशोधित तरमीम की जावे साथ ही राजकीय खसरा नम्बर की तरमीम राजकीय खसरा सख्या 4142, 4142/6045 के साथ लगते हुए की जाये तथा उनका नक्शा भी वर्किंग के अनुरूप किया जावे। खसरा संख्या 4139/6026 रकबा 0.27 में तहसीलदार पीसागंन की रिपोर्ट के अुनसार ब्लॉक रोड 15 फिट चौडाई में तरमीम की जावे।**

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:06:32 IST
Reason: SelfAttested